कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

निविदा सूचना संख्या –एफ –4 ( ) /सा.प्र./निविदा/कोविको/2017/11519 दिनांक 28.02.17

निविदा प्रपत्र(भाग–अ)

विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं की काम में ली हुई उत्तरपुस्तिकाओं , ओ.एम.आर. शीट्स , टाट के खाली कट्टे एवं कागज की कतरन आदि के विक्रय हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र मूल्य –रू. 500/–

धरोहर राशि – रू. 46000/–(छियालीस हजार रू. मात्र)

1 निविदा बिक्री की अन्तिम तिथि – दिनांक 16.03.17 दोपहर 1 बजे तक

2 निविदा जमा कराने की तिथि– दिनांक 16.03.17 दोपहर 2 बजे तक

3 निविदा खुलने की तिथि – दिनांक 16.03.17 अपरान्ह 3 बजे तक

नोटः– धरोहर राशि बैक ड्राफ्ट द्वारा जो कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पक्ष में देय हो। चैक स्वीकार्य नही होगा।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम .....

   एवं डाक का पूरा पता .....

   (प्रोपराइटर का आई ड़ी फूफ संलग्न करे)

2. आर.एस.टी. न.– .....

   सी.एस.टी. न.– .....

3. दूरभाष न. अ – प्रतिष्ठान – .....

ब – निवास – .....

स – मोबाईल न.– .....

4. प्रोपराईटर / अधिकृत प्रतिनिधि का नाम .....

जिससे सम्पर्क किया जा सके । .....

5. क्या फर्म निविदा सूचना की समस्त शर्तो .....

का पालन करने के लिये सहमत है। .....

6. क्या निविदादाता फर्म का कागज /कागज .....

की लुगदी बनाने का स्वयं का कारखाना है,

यदि हॉ तो उसकी क्षमता एवं वार्षिक टर्न .....

ओवर का विवरण अंकित करें।

7. कागज निर्माता फर्म की उत्तरपुस्तिकाओं .....

को लुगदी में परिवर्तित करने की क्षमता

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कोटा विश्वविद्यालय – कोटा

निविदा एवं संविदा की विशेष शर्ते

1. निविदादाता दरे प्रति क्विंटल के हिसाब से अंकित की जानी चाहिये एवं अंको तथा शब्दो दोनो में ही लिखी जानी चाहिये। इस कार्यालय द्वारा भेजे गये टेण्डर फार्म के अलावा किसी दूसरे पत्र में अंकित दरे स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. टेण्डर ,मोहरबन्द लिफाफे में धरोहर राशि रू. 46000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ दिनांक 16.03.17 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पास पहुंच जाने चाहिये। धरोहर राशि कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नाम से बैंक ड्राफ्ट सें जमा करायी जानी चाहिये । डिमाण्ड ड्राफ्ट , कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पक्ष में बनवा कर निविदा के साथ संलग्न करे। चैक स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूर्व में जमा धरोहर राशि यदि कोई हो तो इस निविदा के लिये मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी टेण्डर को बिना कोई कारण बताये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा निरस्त कर दें अथवा उपयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओ को बिना कोई कारण पूर्ण अथवा कि तो में बेचा जा सकता है अथवा बेचना स्थगित भी किया जा सकता है।
4. विश्वविद्यालय द्वारा दरे स्वीकृत किये जाने पर सम्पूर्ण माल आदेश की तारिख से 20 दिन के अन्दर उठा लेना होगा। इस अवधि में अवकाश के दिन भी शामिल है। निर्धारित अवधि में माल न उठाने पर गोदाम (स्थान) किराया नीचे लिखे अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। यह राशि सिक्यूरिटी राशि में से काट ली जावेगी।

क्र.सं.	**बिलम्ब**	**गोदाम किराया**
01	प्रथम सात दिन की देरी पर	रू. 250/– प्रतिदिन
02	द्वितीय सात दिन की देरी पर	रू. 500/– प्रतिदिन
03	20 दिन की देरी पर	रू. 750/– प्रतिदिन
04	20 दिन के पश्चात भी अवशेष माल नही उठाने पर	जमा धरोहर /प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी

5. जिनकी दरे स्वीकार होगी, उनको अनुमोदित कुल मूल्य की चौथाई राशि कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नाम बैंक ड्राफ्ट से सिक्यूरिटी मनी (प्रतिभूति राशि) के रूप में दर स्वीकृत की सूचना मिलने के सात दिन में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रपत्र में रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा। सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त सामग्री उठाते समय प्रत्येक लॉट की कीमत विश्वविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करानी हेागी। कीमत पूर्ण जमा होने पर ही माल उठा सकेगा। प्रतिभूति राशि का समायोजन किसी भी लॉट या अन्तिम लॉट की कीमत में नहीं किया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि शर्त सं. 23 के अनुसार ही लौटाई जावेगी।
   टेण्डर स्वीकृति के पश्चात् सफल निविदाकार करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार के विफल रहने को निबंधनो तथा शर्तो का भंग होना माना जावेगा तथा धरोहर/प्रतिभूति अथवा दोनो राशि जब्त की ली जावेगी। तदोपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदाकार को कार्यादेश देने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

6. स्वीकृति पर सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि 20 दिन में माल उठाने पर कुलसचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आंमत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता को माल बेच सके। इस प्रकार

के विक्रय से यदि कोई हानि होती है तो हानि की रकम दोषी निविदादाता की जमा धरोहर/राशि अथवा दोनो से वसूल कर ले।

7. यदि इस माल के अलावा कोई अन्य सामान बाद में बेचने लायक हुआ तो उसे मौके पर ही बतला दिया जावेगा तथा निविदादाता उनकी भी दरे निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व दे सकेंगे।
8. माल भरवाने से पूर्व खाली बोरे तुलवाने होगें। माल की वजनी तादाद दी गई है वह अन्दाजन है। माल कम या अधिक हो सकता है। माल उठाने एवं तुलवाने का व्यय फर्म को ही वहन करना होगा।
9. उपयोग में ली हुई उत्तर पुस्तिकाओ का निरीक्षण इच्छुक निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में (प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक) सहायक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन/अनुभागाधिकारी गोपनीय से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में कर सकते है।
10. किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति में कुलपति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। कानूनी कार्यवाही की स्थिति में राजस्थान में कोटा स्थित न्यायालय ही क्षेत्राधिकार रहेगा।
11. उपरोक्त शर्तो के अलावा/विपरीत निविदादाता द्वारा निविदा में जोड़ी गई कोई भी अन्य शर्त कतई मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदा भी स्वीकार नहीं होगी।
12. विक्रय राशि पर बिक्री कर व अधिभार (बिक्री कर पर) विश्वविद्यालय में माल उठाने से पूर्व नियमानुसार प्रचलित दर के हिसाब से राजकोष में जमा कराने के लिए विश्वविद्यालय में अलग से जमा कराना होगा।
13. प्रयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओ का विक्रय अधिकतम दर पर करने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।
14. निविदा उन फर्मो/व्यापारियो द्वारा ही दी जानी है जो या तो उन वस्तुओ के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित क्रेता हो, जिसके लिए निविदा की जा रही है , वास्तव में व्यवसाय कर रहा हो तथा फर्म के पास आर.एस.टी./सी.एस.टी नम्बर का होना अनिवार्य है।
15. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न आगे किसी को निविदा दे सकेगा।
16. राजकीय निगम/कंपनी/उपक्रम/बोर्ड/राजकीय विभाग को धरोहर एवं प्रतिभूति राशि को जमा कराने से छूट प्राप्त है। S.S.I. Units को Preference of Industries of Raj. Rules 1995 में अंकितानुसार सीमा तक ही छूट देय होगी।
17. निविदादाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि असफल निविदादाता को दरे स्वीकृत होने के एक माह के भीतर लौटा दी जावेगी। किन्तु सफल निविदादाता को धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के एक भाग के रूप में मान लिया जावेगा।
18. निविदाकार को निविदा एवं संविदा की शर्तो एवं प्रतिबन्ध की स्वीकृति के प्रतीकस्वरूप निविदा के प्रपत्र एवं निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने है।
19. निविदादाता माल (उत्तरपुस्तिकाओ के बण्डल, प्रिन्टेड मैटर के बण्डल तथा अन्य प्रिन्टेड मैटर सामग्री) देखकर व माल के वनज का अन्दाजा लगा कर टेण्डर दे। समस्त माल जिस स्थिति में जहाँ–जहाँ पर भी है कार्यालय से पूरा उठाना होगा। टेण्डर खुलने पर इस पर ध्यान नहीं दिया जावेगा कि अमुक माल ऊपर से अच्छा है और नीचे से खराब है।
20. परीक्षा की साबुत उत्तरपुस्तिकाए आदि फर्म के द्वारा पल्प बनवाने हेतु सीधे मिल को भिजवाना होगा एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उत्तर पुस्तिकाओ को गलाकर पल्प में परिणित करना होगा तथा प्रमाण पत्र देना होगा कि समस्त सामग्री का पल्प मिल में बनवा दिया गया है। यदि उत्तरपुस्तिकायें बाजार में विक्रय हेतु पाई गई तो संबंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
21. फर्म को नवीनतम आयकर शोधन एवं बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र संबंधित सर्किल अधिकारी का निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा प्राप्त होने पर वह अस्वीकृत की जा सकती है।
22. निबंधनो तथा शर्तो को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस सबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।
23. सफल निविदादाता को प्रतिभूति की राशि (यदि उसमें धरोहर राशि भी सम्मिलित की हुई है) संविदा के पूर्ण होने के पश्चात् समस्त संबंधितो से संतोषप्रद माल उठाने की सूचना व शर्त संख्या 20 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर एक माह बाद लौटा दी जावेगी। ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

24. नेगोसियेशन के अन्तर्गत यदि निविदाकार मूल निविदा में अंकित दरो से कम दरे अंकित करते है अथवा कोई नई शर्त रखते है तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह मूल निविदा की दरो को विश्वविद्यालय नियम के तहत स्वीकार कर ले। यदि नेगोसियेशन में मूल निविदा में अंकित दरो से अधिक दरे आती है तो समिति अधिक दरो को स्वीकार करने के लिए अधिकृत होगी।
25. निविदाकार को अपने कार्यालय व गोदाम के भू–गृह आदि का पूरा पता निश्चित रूप से देना चाहिए ताकि वहां जाकर निरिक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का नाम, पता व फोन नं. भी अवश्य दे जिससे इस कार्य हेतु सम्पर्क किया जा सके। ऐसे व्यापारियो जिन्होने कारोबार नया ही शुरू किया हो उनके लिए अपने बैंकरो का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
26. समस्त उत्तर पुस्तिकाओ को उठाने के बाद कि अब कोई उत्तर पुस्तिका उठाना शेष नहीं है इस आशय का प्रमाण–पत्र परीक्षा नियन्त्रक से प्राप्त कर सामानय विभाग में प्रस्तुत करने पर ही कार्य पूर्ण माना जावेगा।
27. विक्रय की गई उत्तर पुस्तिाकओ का परिवहन अनुमोदित क्रेता को पूर्ण सावधानी के साथ इस प्रकार करना होगा कि समस्त उत्तर पुस्तिकायें विश्वविद्यालय परिसर में उठाये जाने के बाद सीधे मिल में ही पहुँचे, साथ ही उत्तर पुस्तिकाओ को मजबूत त्रिपाल आदि से चारो तरफ से इस ढ़ंग से मजबूती से कवर्ड करना होगा ताकि परिवहन के दौरान मार्ग में कही पर भी उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकायें गिरने नहीं पावें। यदि मार्ग में कहीं पर भी उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओ के गिरने की रिपोर्ट/जानकारी विश्वविद्यालय को आती/होती है तो निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए निविदादाता स्वयं ही उत्तरदायी होगा।
28. स्वीकृत निविदाकार को रद्दी का तौल विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त तौल समिति के सदस्यो की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार धर्म काटे पर करवाना होगा तथा प्रत्येक बार तौल के आधार पर कुल राशि उसी दिन विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी, साथ ही नियमानुसार लागू बिक्रीकर भी जमा कराना होगा। आवश्यकता हुई तो रद्दी का तौल दो कांटो पर भी करवाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अधिक तौल/वजन वाला कांटा मान्य होगा।
29. किसी भी शर्त में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शिथिलता प्रदान करने का अधिकार कुलपति को आरक्षित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कोटा विश्वविद्यालय – कोटा

प्रपत्र (भाग–ब)वित्तीय निविदा

आइटम का विवरण	मात्रा/संख्या अनुमानित	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दर/प्रति क्वि. (समस्त खर्चे तौल परिवहन कर आदि सहित)
1. विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओ में काम में ली हुई उत्तरपुस्तिकाये	700 क्विटल	..... प्रति क्विटल
2. ओ.एम.आर. शीट्स	200 क्विटल	..... प्रति क्विटल
3. टाट के खाली कट्टे	30 क्विटल	..... प्रति क्विटल
4. कागज की कतरन	40 क्विटल	..... प्रति क्विटल
5. पुराने समाचार पत्र/पत्रिकायें	100 क्विटल	..... प्रति क्विटल
6. पुराने अनुपयोगी प्रश्न–पत्र	180 क्विटल	..... प्रति क्विटल

नोटः–विक्रय मूल्य पर सेल्स टैक्स एवं सरचार्ज बोलीदाता द्वारा नियमानुसार अलग से देय होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिए नियम 68)

टिप्पणी – निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूवर्क पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए ।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निदेशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. **वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएं :–** निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस. आर. प्रारूप 3 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (ii) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेंगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगीं।

4. **ब्रिक्री कर पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र** (Clearance certificate) : कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित हैं, यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नही देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सरकिल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर शोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके बाद निविदा को रदद् कर दिया जाएगा ।
5. **आयकर शोधन प्रमाण पत्र –** निविदादाताओं को सम्बन्धित सरकिल के आयकर अधिकारी से एक आयकर शोधन प्रमाणपत्र निविदाओं के साथ प्रस्तुत करना होगा । इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायगा।
6. निविदा प्रारुप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायगा । पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेंगा ।
7. दरें शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाएंगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्वियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय किक्री करों की राशि को पृथक् से दिखाना चाहिए।

8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुशंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। किन्तु चुंगीकर, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों (सप्लाइज) के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नही किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, **इन पर चुंगीकर (ऑक्ट्राय) का भुगतान नही किया जाता हैं ।** अतः इन दरों में चुंगी कर एवं स्थानीय करों आदि कों शामिल नही करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री करने के लिए या हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने को हैं, तो इन दरों में चुंगीकर (ऑक्ट्राय) एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र सप्लाई आदेश के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
9. **(i) दरों की तुलना :** राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नही हैं, निविदत्त दरों की तुलना करनें में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नही किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। (ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।
10. **मूल्य अधिमान :** मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्ड़ार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायगी।
11. **विधि मान्यता : नि**विदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।
12. अनुमोदित प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक एवं ड्राइंग्स आदि की सावधानीपूवर्क जांच करली हैं। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राइंग्स आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
14. **विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन्स)** : (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या ..... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हों, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप हैं, तथा क्या वे सैम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

(iii) वारंटी एवं गारंटी का खंड : निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से ..... दिनों/माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगीं तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हों एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हों, यदि.....दिनों/माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं कों उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाये जाएगे, रदद् करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद् किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रदद् करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद् कर दिया गया हैं, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लिखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारण्टीकृत अवधि में पुर्जों को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में उन्हे वैसा पाया जाएगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हैं।

(iv) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएंगी, वार्षिक रखरखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा चाहे वे मशीनें या उपकरण वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन होया अन्यथा हों । मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा। क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखनें के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदना पसन्द कर सकेगा।

15. निरीक्षण :

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्त्ता के परिसर में जाएगा तथा यह विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता हैं, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिसमे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क

करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नए रूप में प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।

16. **सैम्पल** : अनुसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे सैम्पल, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे तो कार्यालय में प्राप्त किया जाएंगे। सैम्पल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पल के लिए एक रसीद दी जाएगी। यदि ये सैम्पल ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी. आर. एक पृथक् रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैले में निविदादाता के मूल्य से रखे जाने चाहिए।
17. प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांध कर उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूचि में नमूना हैं, आदि लिखे जाऐगे।
18. अनुमोदित सैम्पलों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन सैम्पलों को प्रतिधारित (Retained) किया जाएगा परन्तु उसमें किसी भी क्षति, टूटफूट, परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होंगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पलों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नही करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पल प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता हैं उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट–फूट या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
20. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाऊस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
21. **सैम्पल निकालना (Drawing of Samples)** : परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में सैम्पल लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सेट उन्हे दे दिया जाएगा, एक या दो सेटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
22. **परीक्षण प्रभार** : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया

गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नहीं हैं, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएगें।

23. **रदद् करना (Rejection)** : **(i)** निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नही की जाएंगी उन्हें रदद् कर किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलान साध्य (feasable) नही समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम रहेगी।

24. रदद् की गयी वस्तुओं कों निविदादाता उन्हें रदद् करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं कों जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

25. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हों तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्त्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्त्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएंगी।

26. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (requdiate) कर सकता हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेंगा।

27. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होंगी।

28. **(i) सुपुर्दगी अवधि** : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर आदेश में वर्णित प्रकार के सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगाः—

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

(ii) मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 % तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगीं। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी ।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नही करता हैं या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा ।

29. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :

(क) निविदा के साथ ..... रु. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि ..... कोटा के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा करायी जानी चहिए।

(i) नकद– शीर्ष **"8443–सिविल निक्षेप–103 प्रतिभूति निक्षेप"** के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) **बयाना राशि का प्रतिदाय** (Refund of Earnest Money) : असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्त शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) **बयाना राशि से छूट** : उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगीं।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

(ड) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रदद् की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता हैं तों बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

30. बयाना राशि का समपहरण : बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा –

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता हैं या उसमें उपान्तरण (Modification) करता हैं।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हों।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हों।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हों।

31. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit) :

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 % के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी हैं, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी। (विलोपित) 2

(ii) निविदा के समय जमा करायी गई बयाना राशि कों प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दश में बयाना राशि से कम की नहीं होगी ।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे –

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस्, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हों। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(अ) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता हैं तों दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हों, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वें रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य में 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगे।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण : प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा –

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

32. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रासपोर्ट के जरिए भाडा चुकाकर भेजा जाएगा। यदि सामान भेज दिया जाता हैं तथा उसका भाडा चुकाना हों, तो प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) कि बिल में से उस भाडे के 5 % की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता हैं तो सम्पूर्ण रेल का भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

33. बीमा :

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे – युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

34. भुगतान :

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसफोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर दिया जाएगा। अव शेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निविदादाता को नहीं दिए गए उस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठाकिंत किए जाने पर किया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएंगा।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 % तक रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वें परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगें।

35. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी कि लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर से प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) : परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा हैं –

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए
2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए
5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन–चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए
10%

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा :

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 % होगी।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पुर्ण हाने की निर्धारित तारीख के बाद करेंगा।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

36. वसूलियां : परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएंगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेग तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनकों नहीं बदलता हैं तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध

प्रतिभूति निक्षेप से की जाएंगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएंगी।

37. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

38. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाई कर रदद् कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक की क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हों।

39. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद् करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकारी को अपने पास आरक्षित रखेगा।

40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पुजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

41. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लघंन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता हैं तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

42. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित कोटा जिला न्यायालय में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएंगी।

43. उपर्युक्त शर्ते GF & AR भाग II में वर्णितानुसार निस्तारण नियमों एवं सामग्री के विक्रय के अध्ययधीन यथा संशोधितानुसार लागू होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय् मोहर